लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक: भारत के संदर्भ में एक अध्ययन ।

1. डॉ. जगदीश प्रसाद

एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

2. श्री ललन कुमार मंडल

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर (बिहार)

शोध सारांश:
लोकतंत्र की उत्पत्ति प्राचीन काल से एक पौराणिक शहर एथेंस में पाई जा सकती है। प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत में थी। पूरे वैदिक काल में सभाओं और समितियों का अस्तित्व यहीं से शुरू होता है, जहां से भारत के लोकतंत्र का इतिहास शुरू होता है। अधिकांश प्राचीन शहर और राष्ट्र राजशाही थे, हालांकि उनमें से सभी नहीं थे। लोकतंत्र का विचार गायब नहीं था और पूरे मुगल काल में कई रूपों में मौजूद था। भारत पर ब्रिटिश का कब्जा तब हुआ था जब लोकतंत्र का विचार सबसे पहले अपने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक भारत में है, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मत देने वाली आबादी है। भारत में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। अपनी स्थापना के बाद से, भारत ने एक प्रगतिशील रुख अपनाया है। भारतीयों ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया है, प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को शामिल किया है। भारतीयों ने धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों को भी शामिल किया है, जो अभी भी अन्य लोकतंत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित नहीं हैं, लेकिन भारतीय संविधान में यह शुरुआत से ही शामिल हैं। भारत मे लोकतांत्रिक के अस्तित्व और विस्तार की गारंटी देने वाला प्रमुख साधन भारत का संविधान है।

मूल शब्द: लोकतंत्र, पृथक्करण, संविधान, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, समानता

परिचय:
प्राचीन विश्व में रोम ,भारत इत्यादि महान सभ्यताओं में लोकतंत्र के कुछ लक्षणो के साक्ष्य मिलते हैं परन्तु कई सामाजिक ,आर्थिक तथा सैन्य कारको ने लोकतंत्र को मध्यकाल में कमजोर कर दिया था। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा का आरम्भ ब्रिटेन से माना जाता है। 1688 में ब्रिटेन में लोकतंत्र का आरम्भ हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता (Liberty), समानता (Equality) तथा बंधुत्व (Fraternity) जैसे सिद्धांतो को प्रदान कर मजबूत लोकतंत्र के स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान समय में लोकतान्त्रिक शासन पद्धति को विश्व के कई देशो ने स्वीकारा है। परन्तु अभी भी कुछ स्थानों पर तानाशाही , सैन्य शासन , राजतंत्र जैसी शासन व्यवस्थाए हैं जहाँ समय समय पर लोकतंत्र स्वीकारने के लिए आंदोलन होते रहते हैं। प्रत्येक राज्य चाहे वह उदारवादी हो या समाजवादी या साम्यवादी, यहाँ तक कि सेना के जनरल द्वारा शासित पाकिस्तान का अधिनायकवादी भी अपने को लोकतान्त्रिक कहता है। सच पूछा जाये तो आज के युग में लोकतान्त्रिक होने को दावा करना एक फैशन सा हो गया है। इस रिसर्च पेपर का उद्देश्य लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है।

लोकतंत्र का अर्थ और अवधारणा:
जेम्स ब्राइस के अनुसार " लोकतंत्र लोगो का शासन है ,जिसमे लोग सम्प्रभू इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं"।
लोकतंत्र को "डेमोक्रेसी" के नाम से भी जाना जाता है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस तथा क्रेशिया से हुई है। जहाँ डेमोस का अर्थ है "लोग" तथा क्रेशिया का अर्थ है "शासन " । इस प्रकार लोकतंत्र का आशय लोगों के शासन से है। लोकतंत्र या प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है।

लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें लोगों के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, यानी 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' और यह तय करते है कि कार्यालय में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यानी 'प्रतिनिधि लोकतंत्र'। एक लोकतांत्रिक समाज में, समय के साथ जनसंख्या में आम तौर पर वृद्धि हुई है। हालांकि, किसे 'लोगों' के रूप में माना जाता है और लोगों के बीच सत्ता कैसे वितरित या प्रत्यायोजित (डेलीगेट) की जाती है, यह समय के साथ और अलग-अलग देशों में अलग-अलग दरों पर विकसित हुआ है। सभा और संघ की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, समावेशिता और समानता, नागरिकता, शासितों की सहमति, मतदान के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अन्यायपूर्ण सरकारी वंचन से स्वतंत्रता, और अल्पसंख्यक अधिकार लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में से हैं।

लोकतंत्र ने समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रथम प्रकार का लोकतंत्र था। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र, जैसे संसदीय या राष्ट्रपति लोकतंत्र, आज उपयोग में आने वाला सबसे प्रचलित प्रकार का लोकतंत्र है। इस प्रकार के लोकतंत्र में जनता उन प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। उदार लोकतंत्र के सबसे प्रचलित रूप में, बहुमत की शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधि लोकतंत्र के मापदंडों के भीतर किया जाता है, लेकिन संविधान बहुमत की शक्ति को प्रतिबंधित करता है और अल्पसंख्यक की रक्षा करता है, आमतौर पर यह सुनिश्चित करके कि सभी के पास कुछ व्यक्तिगत अधिकारों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या संघ की स्वतंत्रता तक पहुंच है।

लोकतंत्र का इतिहास

लोकतंत्र के उपयोग का इतिहास लंबा और ऊंच-नीच से भरा हुआ है। भारत के प्राचीन गणतंत्रों अथवा यूरोप के एथेन्सी लोकतंत्र का इतिहास ही दो हजार वर्ष से भी अधिक पुराना है और हम देखते हैं कि उस काल के मानव समाज में भी लोकतंत्रीय संस्थाएं किसी-न-किसी रूप में विद्यमान थीं। मानवीय गतिविधि जैसे-जैसे व्यापक रूप लेती गई, मानव दृष्टि में भी व्यापकता आती गई। नागरिक समाज निर्माण करने की आकांक्षा ने मनुष्य को लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया क्योंकि यही ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। इससे केवल निर्णय करने की प्रक्रिया ही में नहीं अपितु कार्यकारी क्षेत्र में भी भागीदारी उपलब्ध होती है। अपने विकास क्रम के विभिन्न चरणों में लोकतंत्र ने भिन्न-भिन्न परिस्थितियों को अन्यान्य मात्रा में सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

1688 में ब्रिटेन की गौरवमयी क्रांति , 1776 की अमेरिकी क्रांति तथा 1789 के फ्रांस की क्रांति के उपरान्त विश्वपटल पर सशक्त लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस समय तक विश्व के अधिकांश देश सम्पूर्ण राजतांत्रिक तथा उपनिवेशवादी शक्तियों के अधीन थे। इस समय भारत की महान मुग़ल सत्ता समाप्त हो चुकी थी तथा अखिल भारतीय शक्ति के रूप में ब्रिटेन की उपनिवेशी ताकत ने स्थान ले लिया था। इसके साथ ही भारत के 35 % पर राजा तथा राजकुमारों का शासन था। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त विश्व व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। अमेरिका ,तथा रूस दो बड़ी शक्तिया बन कर विश्वपटल पर आईं। जिन्होंने उपनिवेशवाद के समापन का प्रयास किया। इस दौर में भारत , पाकिस्तान , श्रीलंका ,मालदीव,घाना जैसे देश स्वतंत्र हुए तथा वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1991 के उपरान्त विश्व एकध्रुवीय हो गया। अमेरिका एक मात्र वैश्विक शक्ति के रूप में लोकतंत्र तथा वैश्वीकरण का समर्थन कर रहा था। इस दौर में नेपाल , लीबिया म्यांमार तथा सोवियत संघ से बिघटित 15 देशो में लोकतान्त्रिक व्यवस्था को स्वीकारा। नेपाल में राजपरिवार तथा लीबिया व म्यांमार में सैन्य शासको से संघर्ष के उपरान्त लोकतंत्र स्थापित हुआ। भूटान में भी नरेश की स्वीकृति से संबैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। परन्तु आज भी अरब देश , थाईलैंड , जैसे कई देशो में तानाशाही सैन्यतंत्र तथा राजतंत्र की जड़े मौजूद हैं।

भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित राष्ट्रीयता की कल्पना पर आधारित है। यहाँ की विविधता ही इसकी खूबसूरती है। सिर्फ दक्षिण एशिया को ही लें तो, भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच यह अंतर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में उनके विशिष्ट धार्मिक समुदायों का दबदबा है। लेकिन, धर्मनिरपेक्षता भारत का एक बेहद सशक्त पक्ष रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करें तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आरंभ पूर्व वैदिक काल से ही हो गया था। प्राचीनकाल में भारत में सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन में भी इस बात के प्रमाण हैं। वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलती-जुलती थी। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या विशाल थी। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवि की केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे वहीं यौधेय की केंद्रीय परिषद के 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे। प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी भिन्न जरूर थी। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है, परंतु उन्होंने वोट देने के अधिकार पर रोशनी नहीं डाली है।

भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं:

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र तब आया, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यह संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान में लोकतंत्र की संपूर्ण व्याख्या की गई है। भारतीय लोकतंत्र की कुछ मौलिक विशेषताएं निम्न हैं।

(1) जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी, (2) उत्तरदायी सरकार, (3) जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना, (4) सीमित तथा सांविधानिक सरकार, (5) भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा, (6) निष्पक्ष तथा आवधिक चुनाव, (7) वयस्क मताधिकार, (8) सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का हिस्सा, (9) जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार, (10) निष्पक्ष न्यायालय, (11) कानून का शासन, (12) विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति, (13) सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में।

भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोकतंत्र की स्थापना हुए अर्धशताब्दी से अधिक वर्ष हो चुके हैं। यद्यपि भारत में अनेक ऐसे तत्व मौजूद है जो लोकतंत्र के संचालन तथा इसकी सफलता के मार्ग में बाधा बने हुए हैं परंतु भारत में कई संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक तत्व तथा परंपराएं भी विकसित हुई है जो लोकतंत्र को दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारत में अनेक ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह सभी प्रकार की कठिनाइयों -राजनीतिक ,अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक , साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, आतंकवादी आदि का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकता है।

भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन दो तरीके से किया जा सकता हैं। पहला लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में और दूसरे लोकतंत्र को कमजोर करने में। यहां हम दोनों कारकों का अध्ययन करेंगे।

- ***भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले कारक (Factors Which Strengthen Democratic System in India)***

भारतीय लोकतंत्र को जिन लोकतंत्रीय परंपराओं ने शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है उनका वर्णन निम्नलिखित हैं – 1) संवैधानिक व्यवस्थाएं 2) गैर- संवैधानिक व्यवस्थाएं

1. संवैधानिक व्यवस्थाएं (Constitutional Provisions)

I. प्रस्तावना (Preamble)

संविधान की प्रस्तावना द्वारा संविधान के आदर्शों व उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होता है । इसके अनुसार भारत एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके साथ-साथ संविधान सभी नागरिकों के राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रदान करने की घोषणा करता है।

II. मौलिक अधिकार तथा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy)

नागरिकों के विकास के लिए जहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वहां उनकी सुरक्षा के लिए निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था से जहां नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है वहां सरकार के अनुचित हस्तक्षेप पर भी रोक लगती है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है परंतु अभी और कार्य करना शेष है।

III. उत्तरदायी शासन (Responsible Government)

लोकतंत्र शासन में सरकार का जनता के प्रति उत्तरदाई होना बहुत आवश्यक होता है। भारत में संघ तथा राज्यों में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। मंत्री परिषद अपने शासन संबंधी कार्यों के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदाई होती है।

IV. निष्पक्ष चुनाव (Impartial Elections)

निष्पक्ष चुनाव के लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। भारत में सन 1952 से लेकर सन 2019 तक लोकसभा की 17 चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं के अनेक चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं ।

V. वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव (Elections based on Adult Franchise)

मौलिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुसार सभी 18 वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया है। एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक नागरिक चुनाव में भी भाग ले सकता है । इस प्रकार सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता प्रदान की गई है जो लोकतंत्र का एक प्रमुख तत्व है।

VI. कानून का शासन (Rule of Law)

संविधान द्वारा सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान की गई है। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। कानून व्यक्ति-व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है।

VII. स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)

नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई है।

2. गैर- संवैधानिक व्यवस्थाएं (Extra – Constitutional Provisions)

वे व्यवस्थाएं एवं परम्परायें जिनका प्रत्यक्ष रूप से संविधान में उल्लेख नहीं है उनको गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं कहा जाता है जो कि इस प्रकार है –

I. लोकतांत्रिक विरासत (Democratic Legacy)

भारतीय लोकतंत्र की अब तक की सफलता के मूल में भारत की जनता का लोकतंत्र में अटूट विश्वास नहीं है। अत्यंत प्राचीन काल से ही हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। सर्वशक्ति संपन्न , केंद्रीयकृत तथा अधिनायकवादी

शासनों का जनता ने सदा ही विरोध किया है। इसी लोकतांत्रिक विरासत के प्रभाव के कारण ही अनेक विपरीत परिस्थितियों तथा समस्याओं के होते हुए भी हम लोकतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं।

II. महान नेताओं का नेतृत्व (Leadership of Great Leaders)

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ,जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि ऐसे महान नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते थे और उन्होंने लोगों में इन मूल्यों के प्रति आस्था पैदा की।

III. भारतीय जनता की जागरूकता (Awakening of Indian People)

भारतीय जनता ने सन 1952 से 2019 तक हुए सभी आम चुनाव में पूर्ण जागरूकता का प्रदर्शन किया है। सन 1975 की संकटकालीन घोषणा के विरोध में जनता ने जो मतदान किया उससे यह स्पष्ट हो गया था कि वह लोकतंत्र विरोधी कार्यो को सहन नहीं कर सकते।

IV. आर्थिक योजनाएं (Economic Plans)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा देश के सामाजिक विकास के लिए जो कदम उठाए गए हैं वह भी लोकतंत्र में लोगों की विश्वास के लिए उत्तरदायी है। देश के आर्थिक विकास के लिए 13 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है और 14वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हो चुकी है। संघ तथा राज्यों की सरकारें इस बारे में प्रयत्नशील है कि सभी लोगों को रोजगार मिले ,कृषि उत्पादन बढें ,औद्योगिक विकास हो और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता दूर हो।

V. संवैधानिक उपायों में विश्वास (Faith in Constitutional Means)

भारत की जनता की सांस्कृतिक धरोहर ने उसे संवैधानिक उपायों का उपयोग करने के लिए निरंतर प्रेरित किया है। छोटी समस्याओं से लेकर शासन के प्रति आक्रोश तक को यहां संवैधानिक उपायों से ही सुलझाने को समाज की स्वीकृति प्राप्त है। असंवैधानिक व हिंसक उपायों का प्रयोग विदेशी विचारधाराओं से प्रेरित लोग करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारत के मूल चिंतन को बढ़ावा दिया जाए तथा लोकतंत्र के इस मौलिक सिद्धांत में आस्था को स्थाई बनाया जाए। शांतिपूर्ण उपायों से हुआ परिवर्तन व विकास स्थाई व कल्याणकारी होता है।

VI. विरोधी दलों का योगदान (Contribution by Opposition Parties)

यद्यपि भारत में विरोधी दल बहुत शक्तिशाली नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने में योगदान अवश्य दिया है। जहां तक भी संभव हो सका है उन्होंने सत्ताधारी दल की अनुचित नीतियों का डटकर मुकाबला किया है।

- ***भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारक (Factors Which weakness Democratic System in India)***

भारतीय लोकतंत्र की कार्यशीलता में हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं तथा दोष आए हैं जिनके कारण भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है । इनका वर्णन इस प्रकार हैं –

1. सामाजिक तथा आर्थिक असमानता (Social and Economic Inequality
2. गरीबी (Poverty)
3. निरक्षरता (Illiteracy)
4. बेरोजगारी (Unemployment)
5. जातिवाद (Casteism)
6. साम्प्रदायिकता (Communalism)
7. बहुदलीय प्रणाली (Multiple Party System)
8. संगठित विरोधी दल का अभाव (Lack of Organized Opposition)
9. लंबे समय तक एक ही दल की प्रधानता (Dominance of one Party for a Long Time)
10. राजनीतिक भागीदारी का निम्न स्तर (Low Level of Political Participation)
11. चुनाव बहुत खर्चीले हैं (Elections are very Expensive)
12. राजनीतिक दल दृढ़ सिद्धांतों पर आधारित नहीं है (Political Parties are not Organized on Healthy and Sound Principles)
13. दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली (Defective Election System)
14. राजनीतिक दल-बदल (Political Defections)
15. क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance)
16. सामंती मूल्य (Feudal Values)
17. विधायकों का निम्न स्तर (Low Standard of Legislators)
18. स्वतंत्र तथा ईमानदार प्रेस की कमी (Lack of Free and Honest Press

19. भाषावाद ,क्षेत्रीयता तथा प्रांतीयता की समस्याएं (Problems of Linguism , Regionalism and Provincialism)
20. सामाजिक तनाव (Social Tensions)
21. स्वस्थ लोकतंत्रीय परम्पराओं का अभाव (Lack of Healthy Democratic Traditions)
22. अलगाववाद (Separatism)
23. राजनीतिक हिंसा (Political Violence)
24. भ्रष्टाचार (Corruption)
25. शिक्षा के असमान अवसर (Unequal Opportunities of Education)

निष्कर्ष (Conclusions)

ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली को सांप्रदायिकता, जातिवाद, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, भाषावाद ,गरीबी सामंतवादी मूल्यों ,हिंसा तथा क्षेत्रीय असंतुलन ने बुरी तरह से प्रभावित किया है । भारतीय लोकतंत्र को उपयुक्त कारकों से उत्पन्न खतरों का सामना करने के लिए संविधान का पालन करना आवश्यक है। इन बुराइयों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय एकता व अखंडता की भावना को विकसित करना प्रत्येक नागरिक का परम धर्म है

विषय सूची:

1. विकिपीडिया
2. www.dhyeyaias.com
3. सुशील कुमार शर्मा, "भारत में लोकतंत्र उद्देश्य एवं उपलब्धियां" वेबदुनिया हिंदी
4. प्रिंसेस रितु, "लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्व, चुनौतियां" ज्ञान फॉरेवर, जुलाई 1, 2021
5. IPP- जुलाई 12, 2021
6. https//hindi.ipleader.in
7. https//www.drishtiias.com